DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
WEDNESDAY, NOVEMBER 16, 2022

NEWSPAPERS--DATED-

8 दैनिक जागरण
नई दिल्ली, 16 नवंबर, 2022

HC to DDA: Why damages not paid for sewer deaths?

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Despite court directions, the failure of the Delhi Development Authority (DDA) to compensate the kin of two men who died in a sewer earlier this year left the chief justice of Delhi high court in despair on Tuesday.

"My head hangs in shame," Chief Justice SC Sharma said, lamenting the "complete unsympathetic attitude" of DDA towards the families.

The court was unhappy over non-compliance of its October 6 order directing DDA to pay Rs 10 lakh compensation to each of the families while highlighting that the victims' kin had lost their sole bread earners in the incident.

"We are dealing with people who are working for us so that our life is made comfortable. And this is the manner and method they are being dealt with by the authorities. Very unfortunate," the bench, also comprising Justice Subramonium Prasad, said.

"My head hangs in shame. From October 6, we are now on November 15. When the court had directed DDA to pay the amount, why was it not done?" the chief justice noted.

When the DDA counsel claimed that it was the duty of the Delhi government to pay the amount to the kin of the sweeper and the security guard who died on September 9 in outer Delhi's Mundka after inhaling toxic gases inside a sewer, the court said, "You have a budget of Rs 3,000 crore and we requested you to pay only Rs 10 lakh as an immediate measure and you came up with all kinds of excuses."

"Later we could have adjusted the amount by fixing the responsibility," it said

The DDA urged the court to grant it 15 days for rehabilitation and compassionate appointments to one of each families. But the court said, "We are not concerned with any other compassionate appointment. This one has to be done on a priority basis."

During the hearing, the AAP government informed the court that as a separate compensation, decided by the state cabinet, it had paid Rs 1 lakh each and the remaining Rs 9 lakh would be paid within 15 days.

CHIEF JUSTICE SAYS

My head hangs in shame. From October 6, we are now on November 15. When the court had directed DDA to pay the amount, why was it not done?

डीडीए के व्यवहार से सिर शर्म से झुक गया : मुख्य न्यायाधीश

नई दिल्ली : सीवरेज में हुई दो कर्मियों की मौत के मामले में आदेश के बावजूद मुआवजा व अनुकंपा नियुक्ति का अनुपालन नहीं होने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की। मुख्य न्यायाधीश ने कहा- डीडीए के संवेदनहीन रवैये से हमारा सिर शर्म से झुक गया। ● पेज 8

डीडीए के व्यवहार से सिर शर्म से झुक गया : मुख्य न्यायाधीश

सीवरेज में दो कर्मियों की मौत पर जताई नाराजगी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : सीवरेज में जहरीली गैस के कारण हुई दो कर्मियों की मौत के मामले में अदालत के स्पष्ट आदेश के बावजूद भी मुआवजा व अनुकंपा नियुक्ति के मामले में अनुपालन नहीं होने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार फिर नाराजगी व्यक्त की। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के रवैये को कर्मचारियों के स्वजन के प्रति संवेदनहीन करार देते हुए मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि हमारा सिर शर्म से झुक गया। अदालत के छह अक्टूबर के आदेश के बावजूद भी डीडीए ने न तो प्रत्येक परिवार को तुरंत दस लाख मुआवजा दिया और न ही अनुकंपा नियुक्ति की दिशा में कोई निर्णय लिया। अदालत के आदेश पर मंगलवार को डीडीए उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता अदालत में मौजूद रहे। मामले में अगली सुनवाई दो दिसंबर को होगी।

नौ सितंबर को मुंडका क्षेत्र में सीवरेज में सफाई के दौरान जहरीली गैस से दो कर्मियों की मौत हो गई थी। मामले का स्वतः संज्ञान लेकर अदालत सुनवाई कर रही है। अदालत ने कहा कि हम उन कर्मियों की बात कर रहे हैं, जो हर दिन हमारी जिंदगी बेहतर बना रहे हैं। जब डीडीए की तरफ से अधिवक्ता ने माफी मांगी तो पीठ ने कहा कि आपको हमसे नहीं उस परिवार से माफी मांगनी है जिनके अपनों की सीवर की सफाई करते जान चली गई। इस मामले में जिम्मेदारी तय करने के साथ ही दंड भी दिया जाना चाहिए। अदालत ने नोट किया कि दिल्ली सरकार ने अब तक पीड़ित परिवारों को एक-एक लाख रुपये दिए हैं और शेष नौ-नौ लाख अगले 15 दिन में अदा करेगी।

ऐसी घटनाओं पर मांगी विजलेंस रिपोर्ट: सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पोद्दार ने कहा कि सवाल यह है कि आखिर इस मौत के बाद सरकार ने क्या किया। उन्होंने अदालत को सूचित किया कि ऐसी घटनाएं न हो इसे देखने के लिए एक विजलेंस कमेटी है। अगर कमेटी अपना काम करे तो कोर्ट को निगरानी की जरूरत नहीं है। इस पर पीठ ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि मामले में विजलेंस कमेटी ने क्या कार्रवाई की, इससे जुड़ी रिपोर्ट दो सप्ताह के अंदर दाखिल करें।

अनुकंपा से जुड़े कई मामले लंबित होने की दलील भी नहीं चली

अदालत ने डीडीए से पूछा कि आखिर अनुकंपा नियुक्ति क्यों नहीं की गई? डीडीए की अधिवक्ता ने कहा कि अनुकंपा से जुड़े कई मामले लंबित हैं। इस पर पीठ ने कहा कि हमें अन्य किसी भी मामले से मतलब नहीं है, हम सिर्फ इस मामले की बात कर रहे हैं। अदालत ने डीडीए को 15 दिन में अनुकंपा नियुक्ति करने पर निर्णय लेने को कहा। दिल्ली सरकार के स्थायी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि डीडीए मुआवजे को मिलाने की कोशिश कर रहा था। दिल्ली सरकार द्वारा भुगतान की जाने वाली 10 लाख रुपये की राशि पांच मार्च 2020 के कैबिनेट के फैसले से है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

Hindustan Times

NEW DELHI
WEDNESDAY
NOVEMBER 16, 2022

DATED

{ AHEAD OF G-20 SUMMIT MEETS }

Revamp to end this month: LG office

Paras Singh
paras@hindustantimes.com

NEW DELHI: The revamp of a key arterial stretch linking the Indira Gandhi International Airport (IGIA) and Dhaula Kuan will be completed by the end of this month, said officials aware of the matter, a vital project ahead of the meetings related to next year's G20 Summit.

The upgrade plan for the 8km stretch, said officials from the lieutenant governor's (LG) office, includes landscaping work, infrastructure upgrades, improved horticulture, as well as the installation of eight lion statues and fountains.

"Of the eight statues, six made of white marble are six feet high and weigh two tonnes each, and two black stone ones are 13 feet high and weigh 14 tonnes," the official said.

Six white lion statues and two black ones will be installed along the stretch.

"The fountains will come up at the crossing from Aerocity towards Terminal 3 terminal and at junctions near T1, T3, Dwarka among others," added the official.

India will assume the presidency of the Group of 20 (G20) large economies from December this year and host the summit of leaders at Pragati Maidan in Delhi on September 9 and 10 next year.

The New Delhi area will play host to many of the meetings and transit by the delegates in the run-up to the summit. Officials of the New Delhi Municipal Council (NDMC) said around 190 meetings are likely to be held and 12,000 delegates expected to visit the area during the country's presidency.

The revamp is being executed by the Municipal Corporation of Delhi (MCD), Public Works Department (PWD), Delhi Development Authority (DDA), Delhi Jal Board (DJB) and NDMC, with the LG's office coordinating the project.

"Various private firms have also chipped in with Corporate Social Responsibility (CSR) funds," said an official from the LG's office.

"Work completed so far includes covering open drains, repairing pavements and central verges, planting 30,000 seasonal flowering plants, painting flyovers in a new red-white colour, replacing the black-white," said the official.

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । बुधवार, 16 नवंबर 2022

पंडाल गिरने से 7 मजदूर दबे

विस, रोहिणीः रोहिणी सेक्टर-11 में मंगलवार दोपहर डीडीए पार्क में शादी समारोह के लिए बनाया जा रहा पंडाल अचानक गिर गया। पंडाल के नीचे खाना खा रहे सात मजदूर दब गए। आसपास मौजूद मजदूरों ने सभी को बाहर निकालकर आंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों की पहचान रहीमुद्दीन, साहिल, कपिल, सोनी, नवाबुद्दीन, विजय और टिंकू के रूप में हुई। सभी को बाहर निकालकर गाड़ियों से पास के अस्पताल में पहुंचाया। पुलिस का कहना है कि सभी को मामूली चोट लगी है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक, रोहिणी सेक्टर 11 स्थित डीडीए पार्क में शादी समारोह के लिए करीब चार हजार वर्ग मीटर में पंडाल बनाने का काम चल रहा है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE HINDU NAME Wednesday, November 16, 2022 DELHI ---DATED---

My head hangs in shame, says judge over relief delay to kin of sewer death victims

The Hindu Bureau
NEW DELHI

"My head hangs in shame," said the Chief Justice of Delhi High Court on Tuesday while condemning the Delhi Development Authority (DDA) for not paying ₹10 lakh each as compensation to the families of two persons who died after inhaling toxic gases inside a sewer in September this year.

A Bench of Chief Justice Satish Chandra Sharma and Justice Subramonium Prasad came down heavily on the landowning agency after it noted that "not even a single penny" towards the compensation was released by the DDA.

On October 6, the same bench had ordered the DDA to pay ₹10 lakh as compensation to each family. It noted that the Delhi government, as part of a separate compensation, has already paid ₹1 lakh each to the two families on September 21.

"From October 6 we are now on November 15. When the court had directed DDA to pay the amount, why it was not done? This is the question," the court asked on Tuesday.

"We are dealing with people who are working for us so that our life is made comfortable. And this is the manner and method they are being dealt with by the authorities. Very unfortunate," the Bench said.

> From October 6, we are now on November 15. When the court had directed DDA to pay the amount, why it was not done? This is the question
>
> **DELHI HIGH COURT**

The conduct of the DDA "reflects complete unsympathetic attitude towards the deceased's families", the court said.

Public interest litigation

The High Court had initiated a public interest litigation based on a news report about the death of a sweeper and a security guard inside a sewer on September 9 in Outer Delhi's Mundka area. The sweeper died while cleaning the sewer and the guard lost his life while trying to rescue him.

DDA vice-chairman Manish Gupta, who was present at the hearing, informed the High Court that the agency's total annual budget was ₹3,000 crore.

"We requested you to pay only ₹10 lakh as an immediate measure and you came up with all kinds of excuses. Later, we could have adjusted the amount by fixing the responsibility. We asked you to pay so that there is some financial and emotional sense of security to the families who have lost their bread earners," the Bench said.

It asked the DDA to act "on a priority basis" on the issue of rehabilitating and giving compassionate appointment to one of the family members of the deceased who was a DDA employee. The court granted 15 days' time to the agency for the appointment.

राष्ट्रीय सहारा

संदिग्ध हालात में डीडीए कर्मी लापता

नई दिल्ली (एसएनबी)। मॉडल टाउन इलाके से एक डीडीए कर्मी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। आरोप है कि स्थानीय थाने के पुलिसकर्मी एक महिला की शिकायत पर शिव यादव नामक कर्मी को पूछताछ के लिए थाने ले गए थे। उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं चल रहा है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर इंसाफ की गुहार लगाई है, साथ ही उन्होंने लिखित शिकायत करके थाने में तैनात एक हवलदार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

> **महिला की शिकायत पर डीडीएकर्मी को पूछताछ के लिए थाने ले गए थे। उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं**

पुलिस अधिकारियों को दिए गए शिकायत में उसके पिता रामेन्द्र कुमार ने बताया है कि उनका बड़ा बेटा शिव यादव डीडीए में बतौर कनिष्ट सचिवालय सहायक के पद पर तैनात है और मॉडल टाउन थाना अंतर्गत विजय नगर में किराये के मकान मे रहता था। विगत आठ नवम्बर को उसके पास थाने से कुछ कर्मी आए, जिन्होंने शिव यादव को पूछताछ के लिए थाने ले गए थे। इस बात की जानकारी मिलने पर रामेन्द्र ने शिव यादव के कुछ दोस्तों को उसके घर भेजा लेकिन वहां पर उसका रूम खुला था। बाद में पता चला कि एक महिला ने शिव यादव के बारे में यह शिकायत की थी कि वह उसका पार्क में पीछा कर रहा है और उसने इसकी शिकायत थाने में की थी। इसके बाद पुलिसकर्मी उसे थाने ले गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि थाने में हिरासत में रखे जाने के बाद उनके बेटे के साथ बदसलूकी की गई और उसके साथ कथित तौर पर मारपीट किए जाने के बाद उसके मोबाइल को छीन लिया गया। इसके बाद से उनका बेटा अचानक लापता हो गया है। मूल तौर पर फरूखाबाद यूपी के रहने वाले रामेन्द्र कुमार यूपी पुलिस से रिटायर्ड है और उन्होंने अपने बेटे के अचानक लापता होने पर अनहोनी की आशंका प्रकट करते हुए मॉडल टाउन थाने में तैनात पुलिसकर्मियों पर कारवाई की मांग की है। शिव यादव के भाई पवन यादव ने बताया कि थाने के सीसीटीवी में भी उसके भाई के साथ बदसलूकी किए जाने के फुटेज मिले है और उन्होंने जिले के एडिशनल डीसीपी से मिलकर पूरे मामले की जांच की मांग की है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME अमर उजाला
नई दिल्ली | बुधवार, 16 नवंबर 2022

हाईकोर्ट ने डीडीए को लगाई कड़ी फटकार

सीवर सफाई के दौरान मृत दो लोगों के परिवारों को मुआवजा प्रदान न करने का मामला

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीवर सफाई के दौरान मरे दो लोगों के परिवारों को आदेश के बावजूद मुआवजा प्रदान न करने पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने सितंबर में सीवर के अंदर जहरीली गैसों के सांस लेने के कारण मारे गए दो लोगों के परिवारों को 10 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि हम उन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अधिकारियों के रवैए से मेरा सिर शर्म से झुक गया है। अदालत ने दिल्ली सरकार से नवीनतम स्थिति रिपोर्ट मांगते हुए सुनवाई 2 दिसंबर तय की है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा अधिकारियों के रवैये से उनका सिर शर्म से झुक गया

अदालत ने 6 अक्टूबर को डीडीए को दो मृतक व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा देने और आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर विचार करने का निर्देश दिया था। डीडीए के वकील ने अदालत से कहा कि राशि का भुगतान करना दिल्ली सरकार का कर्तव्य है। वह इसके भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं है। यह देखते हुए कि देयता का प्रश्न बाद के चरण में तय किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि डीडीए द्वारा मृतक के परिवारों को एक रुपया का भी भुगतान नहीं किया गया। हालांकि यह नोट किया गया कि दिल्ली सरकार ने 21 सितंबर को प्रत्येक परिवार को 1 लाख रुपये का भुगतान किया है।

अदालत ने उचित निर्णय लेने के लिए डीडीए को 15 दिन का समय दिया। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दोनों व्यक्तियों के परिवारों को शेष 9 लाख रुपये जारी करने के लिए भी समय दिया। अदालत ने दिल्ली सरकार की दलील दर्ज की कि डीडीए उस मुआवजे को मिलाने की कोशिश कर रहा है जो 2014 में सफाई कर्मचारी आंदोलन और अन्य बनाम भारत संघ के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर दिया गया।

रोहिणी में पंडाल गिरने से खाना खा रहे सात मजदूर घायल

नई दिल्ली। रोहिणी सेक्टर- 11 में मंगलवार दोपहर डीडीए पार्क में शादी समारोह के लिए बन रहे पंडाल के गिरने से सात मजदूर जख्मी हो गए। आसपास मौजूद मजदूरों ने घायलों को बाहर निकालकर अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया। सभी को मामूली चोट लगी है। डीडीए पार्क में शादी समारोह के लिए करीब चार हजार वर्ग मीटर में पंडाल बनाने का काम चल रहा है। मंगलवार दोपहर 2.45 बजे यहां काम कर रहे कुछ मजदूर पंडाल के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे, जबकि कुछ पंडाल के ऊपर उसे तैयार करने में लगे थे। अचानक पंडाल भरभराकर गिर गया। जिसमें सात मजदूर रहीमुद्दीन, साहिल, कपिल, सोनी, नवाबुद्दीन, विजय और टिंकू घायल हो गए। सभी को बाहर निकालकर गाड़ियों से पास के अस्पताल में पहुंचाया। ब्यूरो

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NE[WSPAPER] नई दिल्ली । बुधवार • 16 नवम्बर • 2022 राष्ट्रीय सहारा

सीवर में मारे गये दो लोगों के परिजनों को क्षतिपूर्ति नहीं मिलने का मामला

मेरा सिर शर्म से झुक गया : मुख्य न्यायाधीश

नई दिल्ली (एसएनबी)। अदालती आदेश के वावजूद सीवर के अंदर मारे गए दो लोगों के परिवारों को क्षतिपूर्ति न देने पर हाईकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के रवैये पर खेद प्रकट किया। उसने डीडीए के कृत को सर्वथा असहानुभूति रवैया कहते हुए टिप्पणी की कि मेरा सिर शर्म से झुक गया है।

हाईकोर्ट ने 6 अक्टूबर को डीडीए से कहा था कि वह मृतक परिवारों को 10-10 लाख रुपए क्षतिपूर्ति दे। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा व न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि इस घटना में पीड़ित परिवारों ने आय अर्जित करने वाले अपने एकमात्र सदस्य को गंवा दिया है। निर्देश के बावजूद डीडीए की ओर से एक भी पैसा जारी नहीं किया गया। पीठ ने यह भी कहा कि पृथक मुआवजे के तौर पर दिल्ली सरकार ने दोनों परिवारों को एक-एक लाख रुपए दिए हैं। शेष नौ-नौ लाख रुपए उन्हें 15 दिनों में दिए जाएं। पीठ ने कहा कि हम 6 अक्टूबर से 15 नवम्बर पर आ गए हैं। जब इस अदालत ने डीडीए को धनराशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था तब ऐसा क्यों नहीं किया गया। यह प्रश्न है। डीडीए के वकील ने कहा कि रकम का भुगतान करना दिल्ली सरकार का दायित्व है। इस पर दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि डीडीए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति में लीपापोती करने की चेष्टा कर रहा है। पीठ ने कहा कि जवाबदेही का प्रश्न बाद में तय किया जा सकता था, लेकिन इस अदालत की चिंता यह थी कि तत्काल उपाय के तौर पर प्रभावित परिवारों को कुछ देने की जरूरत थी। पीठ द्वारा डीडीए का वार्षिक बजट के बारे में पूछे जाने पर उपाध्यक्ष ने कहा कि यह तीन हजार करोड़ रुपए है। पीठ ने कहा कि आपका तीन हजार करोड़ रुपए का बजट है और हमने आपसे तत्काल राहत के तौर पर महज 10 लाख रुपए देने का अनुरोध किया था। उस पर आप सभी प्रकार के बहाने के साथ सामने आ गए। बाद में हम जवाबदेही तय कर इस रकम को समायोजित कर देते। हमने आपसे भुगतान करने कहा था जिससे अपने जीविकोपार्जक को खोने वाले इन परिवारों को कुछ वित्तीय एवं संवेदनात्मक सुरक्षा बोध तो मिलता।

पंजाब केसरी
DELHI

2 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

डीडीए के आदेश का पालन करने में विफल रहने पर कोर्ट की फटकार

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के आदेश का पालन करने में विफल रहने पर कड़ी फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने डीडीए को सितंबर में सीवर के अंदर जहरीली गैस के कारण मारे गए दो लोगों के परिवारों को 10 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया था। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने इसे पूरी तरह से उदासीन रवैया करार देते हुए कहा कि हम उन लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमारा जीवन आरामदायक बन रहा है। इस तरह और तरीके से अधिकारियों द्वारा उनसे निपटा जा रहा है ... बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

मेरा सिर शर्म से झुक गया: चीफ जस्टिस

डीडीए के वकील ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय का हवाला देते हुए बैंच से कहा गया कि राशि का भुगतान करना दिल्ली सरकार का कर्तव्य है। वह इसके भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं है। इस पर आपत्ति उठाते हुए बैंच ने कहा कि उक्त तर्क से अदालत का आदेश लागू नहीं होता। हमने डीडीए को निर्देश दिया था कि पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि दी जाए। यह देखते हुए कि देयता का प्रश्न बाद के चरण में तय किया जा सकता है, बैंच ने कहा कि डीडीए द्वारा मृतक के परिवारों को एक रुपया भी नहीं का भुगतान किया गया। बैंच ने कहा कि आपको पहले पीड़ित परिवार को भुगतान करना था और फिर उक्त राशि कानूनी प्रक्रिया के जरिए दिल्ली सरकार से लेनी थी। हालांकि यह नोट किया गया कि दिल्ली सरकार ने 21 सितंबर को प्रत्येक परिवार को 1 लाख रुपए का भुगतान किया।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

the pioneer
NEW DELHI | WEDNESDAY | NOVEMBER 16, 2022

DATED

Delhi gearing up for G-20 Summit

Beautification work of 8-km stretch from Dhaula Kuan to IGIA to be ready by Nov-end

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

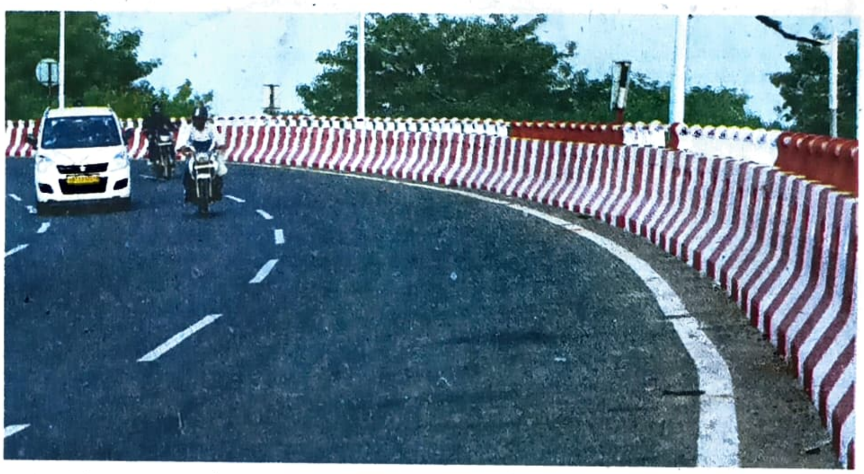

Beautification work of an eight km stretch of road from Dhaula Kuan to Indira Gandhi International Airport is expected to be completed by November end, ahead of the first visit by an official delegation associated with the G-20 Summit. India will assume the presidency of the influential group for a year from December 1, 2022 to November 30, 2023.

The makeover plan, that includes aesthetic upgrading of the stretch by way of uniform colour patterns on flyovers and Footover Bridges, horticultural overhaul through flowering plants to achieve a stepped three-coloured pattern, general cleanliness and symmetric installation of fountains and big lion statues, is almost complete.

The works completed so far include covering of open drains, overall sprucing up of the stretch by repairing the pavements, central verges and dividers, planting 30,000 seasonal flowers or plants and painting flyovers in a new red and white colour scheme instead of the earlier black and white with approval of the Central Road Research Institute.

"The makeover and beautification works on the stretch of road from IGI Airport to Dhaula Kuan and beyond, on the Sardar Patel Marg, is being personally supervised on a weekly basis by Lieutenant-Governor VK Saxena, and the work is going on in earnest. It is expected to be completed by the end of November, well in advance of the first visit by an official delegation related to the G-20 Summit on December 1," sources at Raj Niwas said.

"This has been made possible by seamless coordination between L-G and various implementing agencies including the Municipal Corporation of Delhi (MCD), the Public Works Department (PWD), Delhi Development Authority (DDA), the Delhi Jal Board (DJB) and the New Delhi District, apart from various corporate houses who have chipped in through their CSR funds," the sources added. "It also includes installation of aesthetically-designed view cutters with 'Charkha' and the 'Azadi Ka Amrit Mahotsav' logo at different locations," the source said. Eight lion statues are being installed at different locations across the Capital. Six of the lions have been carved out of white marble. They are six feet tall and weigh two tonnes. Two statues were manufactured out of black stone. They are 13 feet high and weigh 14 tonnes, said sources.

As many as 15 fountains are also being positioned at various locations in Delhi such as the crossing from Aerocity towards T-3 and on the junction of T-3, T-1, Dwarka among other places in the city.

My head hangs in shame, says Delhi HC CJ over non-payment of relief to kin of sewer death victims

PTI ■ NEW DELHI

"My head hangs in shame," the Delhi High Court Chief Justice said on Tuesday, lamenting the "complete unsympathetic attitude" of the Delhi Development Authority (DDA) towards the families of two people who died inside a sewer this year.

The high court, which was annoyed over non-compliance with its October 6 order by which DDA was directed to pay ₹10 lakh compensation each to families of deceased, said it had asked authorities to pay the amount to victims' kin as they had lost their sole bread earners in incident. Pursuant to the high court's direction, DDA Vice Chairman Manish Gupta was present at the hearing.

A sweeper and a security guard had died on September 9 in Outer Delhi's Mundka area after they inhaled toxic gases inside a sewer. The incident occurred when a sweeper had gone down to clean the sewer and fainted. A security guard who rushed to his rescue also fell unconscious, and both died.

The high court, which was hearing a public interest litigation (PIL) initiated by court on its own based on a news report of incident, expressed displeasure over non-payment of ₹10 lakh each by DDA to victims' families and said "not even a single penny" was released by authority. It, however, noted that as a part of a separate compensation, the Delhi government has paid ₹1 lakh each to two families and remaining ₹9 lakh will be paid to them within 15 days.

"We are dealing with people who are working for us so that our life is made comfortable. And this is manner and method they are being dealt with by authorities. Very unfortunate," a bench of Chief Justice Satish Chandra Sharma and Justice Subramonium Prasad said.